

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरु

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

क्रमांक संख्या:- दावा संख्या 50/2016

निर्णय दिनांक :- 31-10-2019

1. सांवरमल पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील रतनगढ ... वादी

बनाम

1. भंवरलाल
2. नन्दलाल
3. गीगराम
4. चन्द्रप्रकाश
5. चम्पालाल
6. नन्दलाल
7. दूरजाराम
8. श्रीमती भगवानी पुत्री हनुमानाराम पत्नी रामकुमार जाति प्रजापत नि. राजलदेसर
9. औमप्रकाश
10. हरीराम
11. श्रीमती कृष्णा बेवा धर्माराम कुम्हार
12. संतोष पुत्री धर्माराम जाति कुम्हार नि.गण खारिया नेमा त. सुजानगढ
13. सीता पत्नी परमेश्वरलाल जाति कुम्हार प्रजापत नि.गण लालकुआ के पास रतनगढ
14. नरेन्द्र कुमारपरमेश्वरलाल जाति कुम्हार नि. लालकुआ के पास रतनगढ
15. श्रीमती गीन्नी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार नि. रतनगढ जिला चूरु
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरु

.....प्रतिवादीगण

उपरिथत:-

1. श्री रामचन्द्र ज्याणी, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज



दावा विभाजन अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

वादी सांवरमल की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत खाता एवं लगान विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के लिए दिनांक 21.7.2016 को प्रस्तुत किया गया। दावा प्राथमिक रूप से दिनांक 18.5.2018 को डिक्री किया जाकर मौके की कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार वादगत भूमि खेत ख.नं. 24 तादादी 57 बीघा 06 विश्वा, व खेत ख.नं. 27 तादादी 28 बीघा 02 विश्वा कुल तादादी 85 बीघा 08 विश्वा रोही ग्राम गुसाईसर तहसील रतनगढ में वादी के 200 हिस्सा यानि 10 बीघा भूमि का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रतनगढ से मंगवाया गया। तहसीलदार रतनगढ की ओर से दिनांक 16.10.2019 को मौका की कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार राज सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभाती अवलोकन किया गया। वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना जाहिर किया गया है। पैरोकार राज ने भी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता एवं लगान कायम करने में कोई आपति नहीं की है। भूमि का विभाजन प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड एवं कब्जा काश्त के अनुसार प्रस्तुत किया गया है तथा भूमि की किस्म भी समान है। अतः दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादगत भूमि का खाता एवं लगान का विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	क्षेत्रफल है. में	लगान
1.	सांवरमल पुत्र किस्तुराराम जाति जाट नि. रघुनाथपुरा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा रतनगढ हि. पूर्ण	24मी. उत्तरी पूर्वी	2.5252 बा.सो.	नियमानुसार

Spam
8/10/19
उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (घूस)



मिन्नीदेवी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार नि. रतनगढ राहिन बी.ओ.आई.रतनगढ हि. 141/1508, औमप्रकाश पुत्र धर्मराम कुम्हार हि. 101/6032, कृष्णा पत्नि धर्मराम जाति कुम्हार हि. 101/6032, चन्दादेवी पुत्री सीताराम जाति कुम्हार हि. 513/26390, चन्द्रप्रकाश पुत्र सीताराम जाति कुम्हार राहिन पी.एन.बी.शाखा रतनगढ हि. 1539/13195, नन्दलाल पुत्र सीताराम जाति कुम्हार हि. 1539/13195 खातेदार नि०गण रतनगढ, नरेन्द्रकुमार पुत्र परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण नि० गुसाईसर हि. 120/1508, नोपाराम पुत्र सीताराम जाति कुम्हार राहिन पी.एन.बी.शाखा रतनगढ हि. 1539/13195, भगवानी पुत्री हनुमानाराम जाति कुम्हार नि० रतनगढ खातेदार हि.513/5278, भंवरलाल पुत्र सीताराम जाति कुम्हार राहिन पी.एन.बी. शाखा रतनगढ हि. 1539/13195, नि.गण रतनगढ मोहरली पुत्री हनुमानाराम जाति कुम्हार नि० रतनगढ हि. 513/5278, संतोष पुत्री धर्मराम जाति कुम्हार नि. रतनगढ खातेदार हि. 101/6032, सीता पत्नी परमेश्वरलाल जाति ब्राहमण नि. गुसाईसर खातेदार हि. 120/1508, हरिराम पुत्र धर्मराम जाति कुम्हार नि. रतनगढ खातेदार हि. 101/6032 खातेदारान	24 मी. शेष भूमि	11.9676 बा.सो.
	27	7.1073 बा.सो.
योग	किता 2	19.0749

तहसीलदार रतनगढ डिकी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। अतिम पर्चा डिकी नियमानुसार जारी हो।

आदेश आज दिनांक 31-10-2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

G. Saini
31.10.19
(डॉ. गौरव सेनी)
उप-खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरु)

